

लादुलाल बनाम बदरीलाल व अन्य  
प्र0सं0-: 19/2021(रे0वाद)  
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद  
(पीठासीन अधिकारी:- अर्चना चौधरी , आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 19/2021(रे0वाद)  
दायर दिनांक - 26/03/2021  
निर्णय दिनांक - 15/07/2025

अनवान

1. लादुलाल पिता रामा जाति रेबारी उम्र 65 साल निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

---वादी

बनाम

1. बदरीलाल पिता रामा जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील-देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

--- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-


वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता  
प्रतिवादी 01 की ओर से -श्री लूम्व सिंह, अधिवक्ता

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम आंजना, पटवार मण्डल आंजना, तहसील देवगढ़ में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 249 आराजी संख्या 1076, 1450, 1451, 1452, 1454, 1470, 943, 944, 945, 952, 954, 967, 968, 971, 978 एवं 981 कुल कित्ता 16 कुल रकबा 3.300 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी।



  
सहायक कलक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

लादुलाल बनाम बदरीलाल व अन्य  
प्र0सं0-: 19/2021(रोवाद)  
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	लादुलाल पुत्र रामा रेवारी सा0 देह खातेदार	1450	0.2300	चाही।	6.67
		1454	0.1400	चाही।	4.06
		1452	0.0400	चाही।	1.16
		1451	0.1150	चाही। 0.0500	1.45
				गै.मु. चट्टान 0.0650	0.26
		943	0.0850	बीड।	3.45
		981	0.1500	चाही 2	0.65
		978	0.2150	बीड।	0.70
		967	0.1400	बारानी।	0.27
		968/1	0.0550	बारानी।	0.18
	1076	0.0600	बीड।		
	<b>योग</b>	<b>किता-10</b>	<b>1.2300</b>		
2.	बदरीलाल पुत्र रामा रेवारी सा0 देह खातेदार	1450/1	0.2300	चाही।	6.67
		1454/1	0.1400	चाही।	4.06
		1452/1	0.0400	चाही।	1.16
		1451/1	0.1150	चाही। 0.05	1.45
				गै.मु. चट्टान 0.0650	-
		943/1	0.0850	बीड।	0.25
		981/1	0.1500	चाही 2	3.45
		978/1	0.2150	बीड।	0.64
		967/1	0.0400	बारानी।	0.20
		968/1	0.1550	बारानी।	0.78
	1076/1	0.0600	बीड।	0.18	
	<b>योग</b>	<b>किता-10</b>	<b>1.2300</b>		

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व. रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)  
सहायक लेक्चरर देवगढ़  
देवगढ़, जिला राजसमन्व

लादुलाल बनाम बदरीलाल व अन्य  
प्र०सं०-: 19/2021(रि०वाद)  
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

अन्तिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )  
न्यायालय सहायक कलेक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) देवगढ़ जिला राजसमन्द  
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर०ए०एस०  
राजस्व वाद संख्या :- 19/2021

अनवान

1. लादुलाल पिता रामा जाति रेबारी उम्र 65 साल निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

---वादी

बनाम


1. बदरीलाल पिता रामा जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील-देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

--- प्रतिवादीगण


उपस्थित :-

वादी की ओर से - श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता  
प्रतिवादी 01 की ओर से -श्री लूम्ब सिंह, अधिवक्ता

में इस आशय दिनांक 15/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम आंजना, पटवार मण्डल आंजना, तहसील देवगढ़ में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या 249 आराजी संख्या 1076, 1450, 1451, 1452, 1454, 1470, 943, 944, 945, 952, 954, 967, 968, 971, 978 एवं 981 कुल किता 16 कुल रकबा 3.300 हैक्टेयर है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-



3

  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला राजसमन्द

लादुलाल बनाम बदरीलाल व अन्य  
प्र०सं०-: 19/2021(रे०वाद)  
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	लादुलाल पुत्र रामा रेबारी सा० देह खातेदार	1450	0.2300	चाही।	6.67
		1454	0.1400	चाही।	4.06
		1452	0.0400	चाही।	1.16
		1451	0.1150	चाही। 0.0500	1.45
				गै.मु. चट्टान 0.0650	0.26
		943	0.0850	बीड।	3.45
		981	0.1500	चाही 2	0.65
		978	0.2150	बीड।	0.70
		967	0.1400	बारानी।	0.27
		968/1	0.0550	बारानी।	0.18
	1076	0.0600	बीड।		
	<b>योग</b>	<b>किता-10</b>	<b>1.2300</b>	<b>18.85</b>	
2.	बदरीलाल पुत्र रामा रेबारी सा० देह खातेदार	1450/1	0.2300	चाही।	6.67
		1454/1	0.1400	चाही।	4.06
		1452/1	0.0400	चाही।	1.16
		1451/1	0.1150	चाही। 0.05	1.45
				गै.मु. चट्टान 0.0650	—
		943/1	0.0850	बीड।	0.25
		981/1	0.1500	चाही 2	3.45
		978/1	0.2150	बीड।	0.64
		967/1	0.0400	बारानी।	0.20
		968/1	0.1550	बारानी।	0.78
	1076/1	0.0600	बीड।	0.18	
	<b>योग</b>	<b>किता-10</b>	<b>1.2300</b>	<b>18.84</b>	

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें।  
पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर देवगढ़  
जिला राजसमन्त  
देवगढ़, जिला राजसमन्त